संख्या-523/2020/2522/22-2-2019-17(1123)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी डा0 अजहर पुत्र डा0 इसरार साकिब, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी डा0 अजहर पुत्र डा0 इसरार साकिब, 176 देशगिल, मो0 मस्जिद पठानी, थाना-कोतवाली जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी द्वारा ईलाज के दौरान महिला के पास रूपये देखकर लालच में आकर दिनांक 09.06.2002 को 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-36/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 394, 201 के अन्तर्गत मा0 ए0डी0एस0जे0-4, पीलीभीत के आदेश दिनांक 24.08.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2006 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 13 वर्ष 09 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 6 माह 02 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला स्तरीय समिति द्वारा बंदी का अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी डा0 अजहर (बन्दी संख्या-15267) पुत्र डा0 इसरार साकिब, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-523/2020/2522(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।